असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 नवम्बर, 2017

षोडश विधान सभा 30 नवम्बर, 2017 ई0

---------- वृहस्पतिवार,तिथि ----------

अष्टम् सत्र 09 अग्रहायण, 1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधाान)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य-स्थगन की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष : कार्य-स्थगन का समय होता है न । कार्य स्थगन की सूचना आप कार्य-स्थगन के समय में उठायेंगे न ।

अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आप बैठिये न । आप समय पर उठाईयेगा न । आलोक जी और सत्यदेव जी, आप समय पर उठाईयेगा, हम देखेंगे ।

(व्यवधान जारी)

आलोक जी, अभी आप के ही दल के माननीय सदस्य का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको होने दीजिये । आप समय पर उठाईयेगा । आपकी जो कार्य-स्थगन की सूचना है उसको आप समय पर उठाईयेगा ।

भाई वीरेन्द्र । माननीय मंत्री कृषि विभाग ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या : 07 (श्री भाई वीरेन्द्र)</u>

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग के सभी योजनाओं का कार्यान्वयन एवं इसमें शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं । इसी क्रम में दिनांक 15.11.2017 को प्रधान सचिव,कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा विडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी है । 17.11.2017 को कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा वार्षिक योजना एवं 2017-18 की समीक्षा कर योजना व्यय में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है । दिनांक 18.11.2017 को माननीय मंत्री, कृषि द्वारा कृषि विभाग की सभी योजनाओं की समीक्षा कर उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया है । दिनांक 21.11.2017 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना ने सभी योजनाओं के नोडल

पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है । समीक्षा के क्रम में कम उपलब्धि वाले जिले के जिला कृषि पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण, कारण-पृच्छा प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है । इसके आलोक में अररिया, गोपाालगंज, मधुबनी, समस्तीपुर और सुपौल जिला के कृषि पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। दिनांक 25.11.2017 को राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ आयोजित राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में योजनाओं में तीव्र प्रगति लाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं । उक्त प्रयासों में कृषि विभाग की योजनाओं में तीव्र प्रगति जारी है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकार शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु कृतसंकल्प है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग बिहार के उनलोगों के लिये है, जो 80 फीसदी गांवों में बसते हैं और सरकार को वित्तीय वर्ष 2017-18 में जो राशि प्रदान की गयी है, उसमें अभी तक केवल 15 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है और वित्तीय वर्ष 2017-18 में मात्र 4 माह ही बचे हैं । तो क्या सरकार जो 6 महीने पर समीक्षात्मक बैठक करती है, क्या उस समीक्षात्मक बैठक को 2 महीने में नहीं करनी चाहिए ? महोदय, यह मामला किसानों से जुड़ा हुआ है । कहीं-न-कहीं यह लगता है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 2 महीना बचेगा तो ये कहीं लीपा-पोती न करें, राशि की निकासी कर कहीं घोटाला न हो जाय । इसकी शंका लगती है । इसलिये क्या माननीय मंत्री जी मात्र 15 प्रतिशत राशि खर्च करके किसानों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं ? क्या किसानों और गरीबों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं ? सरकार जवाब दे कि आखिर 15 प्रतिशत राशि ही क्यों खर्च हुई है ? यह मेरा पहला प्रश्न है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कितना खर्च हुआ है, माननीय मंत्री बतायें ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री: प्लीज बैठ जाईये । हम सब बतायेंगे । अब तो सारी बात रहे हैं न, सुनिये न ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो बजट पास हुआ वित्तीय वर्ष 2017-18 का और 1 अप्रील, 2017 से 30 जुलाई, 2017 तक 4 महीने में ये सरकार में जब बैठे हुये थे तो राशि का खर्च मात्र 0.3 हुआ है । यह उनकी उपलब्धि है । ये 4 महीने तक रैली में व्यस्त थे । इनको जनता की चिंता नहीं थी । किसानों की चिन्ता इनको नहीं थी ।

महोदय, जब से मुझे प्रभार मिला और तब से हमने जो राशि खर्च की है, 01 अगस्त, 2017 से लेकर 27 अगस्त, 2017 तक हमने 11 प्रतिशत खर्च की है । महोदय, सदन को हम बताना चाहते हैं । महोदय, इनका आंकड़ा भी गलत है । हम सही बात बता रहे हैं । ये 15 प्रतिशत खर्च की बात कर रहे हैं । हम स्वीकार करते हैं

लेकिन जब ये सरकार में 4 माह थे, बजट पास हुआ था तो खर्च इनका था मात्र 0.3 । जब हम सरकार में आये तो हमने 11 प्रतिशत राशि खर्च की है और सबसे बड़ी त्रासदी रही है, सदन और बिहार की जनता जानती है कि 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये थे सरकार बनते ही, कई जिलों में भीषण बाढ़ आई थी, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ था और हमारे किसान जो परेशान हुये थे, 8 लाख 40 हजार हेक्टेयर में फसलों की क्षति हुई थी, जिसके कारण पूरी सरकार का ध्यान वहां चला गया । हमलोगों की प्राथमिकता कम से कम डेढ़ माह रही । बाढ़ में जो फंसे हुये लोग थे, उसमें हमारी सरकार ने और केन्द्र की सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से पूरे बिहार में जो बाढ़ से नुकसान हुआ था, जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे निपटने में हमारी सरकार ने मुस्तैदी से यहां के लोगों को सहायता प्रदान करने का काम किया है । महोदय, मैं सदन को लगातार विश्वास दिलाना चाहता हूं, निशिचित तौर पर हमारा प्रयास होगा कि माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है, हम उनकी चिन्ता से सहमत हैं और भाई वीरेन्द्र जी ने जो कहा है, हम निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं, आपलोगों की किसानों के प्रति जो चिन्ता है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लेट से जागे । 4 महीना और जगे रहते तो मैं समझता हूं कि स्थिति काफी अच्छी होती। आप लेट से जागे, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और आपका जो सुझाव है हम उसका स्वागत करते हैं और हमारा प्रयास होगा कि बजट का जो उद्व्यय है 2402 करोड़ का, उसे पूरा खर्च करने का प्रयास करेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आपका सुझाव मान लिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि ये केवल कहते हैं कि हम पदाधिकारियों से जांच करवा रहे हैं, कौन-कौन जिला पदाधिकारी और कौन-कौन कृषि विभाग के संबंधित पदाधिकारी हैं तो सदन में यह भी तय होना चाहिए कि माननीय मंत्री पर कौन-सी जांच होनी चाहिए, कौन-सी कार्रवाई होनी चाहिए है ? केवल पदाधिकारियों पर जांच तय हो, घोटाले में पदाधिकारियों सहित माननीय मंत्री भी तो शामिल हैं । हम तो 15 प्रतिशत कह दिये लेकिन 7 प्वायंट कुछ ही प्रतिशत राशि खर्च हुई है । माननीय मंत्री जी जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं कि हमारे चलते कम प्रतिशत राशि खर्च हुई है । पटना, मुंगेर सहित कई जिले में किसानों के कृषि से संबंधित जो यांत्रिक उपकरण हैं, उसकी जो किसानों द्वारा मांग की गयी है, उसको अस्वीकार कर दिया गया है, उसके आवेदन पत्र को ही अस्वीकार कर दिया गया है । इसके लिये राशि आवंटित है तो क्या सरकार उसको अपने जेब में रखना चाहती है या फिर किसानों के पैसे का घोटाला करना चाहती है ? इसका माननीय मंत्री जी जवाब दें ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम पुनः विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार काम करनेवाली सरकार है । इनको जब मौका मिला था तो काम कर नहीं पाये । हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, सुशील कुमार मोदी जी की सरकार और प्रेम कुमार की सरकार काम करनेवाली सरकार है । महोदय, हमारा विश्वास विकास में है । हमारा विश्वास काम पर है । जब आप घोटाले की बात ला रहे हैं, हम स्वागत करेंगे कि आप लाईये, जिस एजेंसी से आप कहियेगा, उससे उसकी जांच करायेंगे । जांच कराने के लिये हमारी सरकार तैयार है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अंत में हम एक ही बात कहेंगे कि सरकार जो एन0डी0ए0 की सरकार है और अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार, मोदी जी की सरकार और प्रेम कुमार जी की सरकार है, यह किसान विरोधी सरकार है। यह मजदूर विरोधी सरकार है । इन्होंने जो राशि खर्च की है, वह यह दर्शाता है कि किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी है और बिहार विरोधी है ।

टर्न-2/राजेश/30.11.17

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-8 (डा0 रामानुज प्रसाद)</u>

श्री मदन सहनी, मंत्रीः महोदय, उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कुल-2002 प्रमादी मिलरों से कुल 748026.94 मे0 टन बकाया सी0एम0आर0 की राशि 1573.44 करोड़ रूपया वसूलनीय थी जिसके विरूद्ध अब तक 349.90 करोड़ रूपया उक्त प्रमादी राईस मिलरों से वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि- 1223.54 करोड़ रूपया वसूलनीय रह गया है ।

अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के 1446 प्रमादी राईस मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 1676 प्रमादी राईस मिलरों के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है ।

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कुल- 409 दोषी कर्मियों से कुल- 114.49 करोड़ की राशि वसूलनीय थी, जिसके विरूद्ध 16.56 करोड़ वसूली हुई है तथा शेष 97.92 करोड़ वसूलनीय है ।

कुल-280 कर्मियों के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित किया गया है तथा 211 कर्मियों पर प्राथमिकी एवं 265 कर्मियों के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है ।

कुल-48 मामले BW एवं 18 मामले में DW निर्गत किया गया है ।

SLP (Cri) 1779/2016 राज्य सरकार बनाम दिवेश कुमार चौधरी एवं अन्य मामले में दिनांक-28.02.2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विधि विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक-3862 दिनांक-12.07.2017 के अनुसार प्रमादी राईस मिलरों से संबंधित वादों की सुनवाई के लिए बिहार राज्यान्तर्गत 05

(पाँच) जगहों यथा- पटना, पूर्णियाँ, दरभंगा, छपरा एवं गया में विशेष ट्रायल कोर्ट का गठन एवं उसके अधिकारिता जिले का निर्धारण किया गया है ।

क्रिमिनल मिसलेनियस वाद सं0- 52242/2013 सत्येन्द्र कुमार केशरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक- 10.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा परित न्यायादेश के अनुपालन में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अधिसूचना ज्ञापांक- 3276 दिनांक- 20.04.2017.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी का जवाब अच्छी तरह से सुनिये, पूरक पूछने में मदद मिलेगी ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः द्वारा धान अधिप्राप्ति से संबंधित आपराधिक वादों के अनुसंधान हेतु एक विशेष अन्वेषण दल का गठन भी किया गया है ।

एस0आई0टी0 द्वारा जांच की कार्रवाई अभी चल रही है, एस0आई0टी0 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायगी ।

डा0 रामानुज प्रसादः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, जैसा कि लगता है कि अपने विभाग का पूरा जो रेकर्ड था, उसको ला करके पढ़ दिया.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः इतने लंबे जवाब के बाद भी क्या आपका पूरक बचा हुआ है ?

डा0 रामानुज प्रसादः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो घोटाले के स्वरुप हैं कि बाईक से धान को ढ़ोया गया तो मैं यह स्मरण कराते हुए कहना चाहता हूँ कि पूर्व में भी ऐसी चर्चाएँ होती रही हैं बिहार में और ऐसी घटनाएँ घटती रही हैं लेकिन महोदय जो दोषी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जो दोषी पदाधिकारी हैं, तो अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई ? आप अगर वसूली कर रहे हैं, तो वह वसूली करिये, ठीक है जो आपने ब्योरा प्रस्तुत किया, उसमें जो ऐसा करने वाला दोषी था, उनका नाम उजागर कीजिये कि किन-किन से आपने वसूली किया, इसमें संलिप्त जो पदाधिकारी छोटे से बड़े थे, वे कौन थे, यह सदन को बताना चाहिए माननीय मंत्री जी को, अभी माननीय मंत्री जी पढ़ रहे थे पूरा इतिहास, एस0आई0टी0 का गठन हुआ, एस0आई0टी0 जांच कर रही है लेकिन एस0आई0टी0 जांच करके प्रतिफल क्या ला रही है, क्या आगे ऐसे घोटाले रुकेंगे इन कार्रवाईयों से, यह सदन जानना चाहता है अध्यक्ष महोदय ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि कुल 280 कर्मियों के विरुद्ध प्रपत्र-"क" का गठन किया गया है और 511 कर्मियों के विरुद्व प्राथमिकी एवं 265 कर्मियों के विरुद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया गया है और जो शेष लोग बचे हैं, उसके लिए एस0आई0टी0

का गठन किया गया है और उनके जॉच में जो भी लोग दोषी पाये जायेंगे, उनपर कार्रवाई करेगा विभाग ।

डा0 रामानुज प्रसादः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और यह सदन जानना चाहता है कि एफ0आई0आर0 कितने पर लॉज हुए और जो कार्रवाई की जा रही है, उसी के संबंध में हमलोग जानना चाहते हैं कि कौन-कौन पदाधिकारी हैं और वे किस स्तर के पदाधिकारी हैं, जिनपर आपने कार्रवाई की है ? महोदय, यह घोटाला हुआ लेकिन दोषी को जब तक आप सजा नहीं देंगे, तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा और यह घोटाले पर घोटाले होते जायेंगे.....

(व्यवधान)

श्री सदानन्द सिंहः अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बतायेगी कि जिन पदाधिकारियों पर फार्म-"क" का गठन किया गया है, वह कब गठित किया गया है और एस0आई0टी0 कब गठित की गयी है और कब तक उसको प्रतिवेदन देना है ?

श्री मदन सहनी, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, किन-किन पर आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं, तो लगभग 280 कर्मी हैं, तो एक-एक कर्मियों का नाम बताना, एक-एक पदाधिकारियों का नाम बताना अभी संभव नहीं है.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः 280 लोगों पर एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है ?

श्री मदन सहनी, मंत्रीः जी । तो इतने कर्मियों का नाम अगर माननीय सदस्य कहेंगे, तो उनको उपलब्ध करा देंगे । महोदय, जो भी रिपोर्ट है वह सही है और इतने कर्मियों का नाम को अभी यहॉ पढ़ना संभव नहीं हो पायेगा, इसमें काफी समय लगेगा ।

श्री सदानन्द सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि फॉर्म-"क" कितने पदाधिकारियों पर और कब गठित की गयी ?

श्री मदन सहनी, मंत्रीः महोदय, कब गठित किया गया, वह समय तो अभी हम नहीं बता पायेंगे । महोदय, हमने कहा कि कुल 280 कर्मियों के विरुद्ध प्रपत्र-"क" गठित किया गया है और 211 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है एवं 265 पर नीलामपत्र वाद किया गया है। जहॉ तक तिथि की बात है, तो उसको हम अभी तो नहीं बल्कि अलग से बता सकते हैं ।

श्री सदानन्द सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न का तो उत्तर नहीं आया, मैंने पूछा कि एस0आई0टी0 कब गठित की गयी है और उसको प्रतिवेदन कब तक देना है ?

अध्यक्षः इसकी सूचना माननीय मंत्री जी उपलब्ध करा देंगे । अल्पसूचित प्रश्न संख्या : 9

(व्यवधान)

श्री भोला यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, हम आपके माध्यम से उनसे जानना चाहते हैं कि जब चारा घोटाले की बात आयी थी, तो उस समय

चारा को किसी स्कूटर से ढोने की बात कही गयी थी, तो उस समय ये पुस्तिका छपवाये थे और पुस्तिका में लिखे थे कि स्कूटर से चारा को ढोया गया है लेकिन आज ये मौनव्रत धारण किये हुए हैं, अभी तो इनको उठकर जवाब देना चाहिए ।

टर्न-3/सत्येन्द्र/30-11-17

श्री सुशील कुमार मोदी,उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भोला जी के प्रश्न का उत्तर दूंगा लेकिन सदानन्द बाबू ने जो पूछा उसका उत्तर पहले दे दें , उन्होंने पूछा था कि एस0आई0टी0 का गठन कब हुआ तो 20 अप्रैल 2017 को एस0आई0टी0 का गठन किया गया है और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं पुस्तिका छपाने की बात तो ये काम तो विरोधी दल का है, मैं विरोधी दल में था तो किताब छपवाया, आप भी विरोधी दल में हैं,आप भी किताब छपवा दीजिये । अगर जानकारी है, अगर हिम्मत है तो किताब छपवा दीजिये, कौन मना कर रहा है आपको ?

(व्यवधान)

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एस0आई0टी0 अप्रैल में गठित की गयी है लेकिन उसका दूसरा प्रश्न कि कबतक समय सीमा दी गयी है एस0आई0टी0 को जांच प्रतिवेदन सबमिट करने का ?

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री: समय दिया गया है और उसकी जांच चल रही है ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे विपक्ष को कि इस घटना को बहुत गंभीरता से सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है । एक सूचना के अनुसार 1500 लोगों पर एफ0आई0आर0 हुआ है । किसी केस में 1500 लोगों पर एफ0आई0आर0 हो और अनुमानित तौर पर इसमें लगभग 4 हजार करोड़ की चपत सरकार को लगी है और उसमें बहुत सारी गतिविधियां इस तरह की हुई है जिसमें फर्जी रिसिप्ट और फर्जी डिलीवरी का खेल रचा गया है जिसमें बहुत सारे पदाधिकारी शामिल हैं उन्होंने अपना दामन साफ कर लिया है कि हमारे पास रिसिप्ट और डिलीवरी का प्रमाण है तो ऐसी स्थिति में उसको गंभीरता पूर्वक जांच करने की जरूरत है । वर्ष 2011 से 2014 तक एन0डी0ए0 की सरकार थी बिहार में, माननीय कृषि मंत्री जी दावा कर रहे थे कि एन0डी0ए0 की सरकार में सबकुछ ठीक ठाक चल रहा है तो माननीय मंत्री जी इसको रेकर्ड में रखें, ध्यान में रखें और इसको विधान-सभा की समिति मोनेटरिंग करे, विधान-सभा की कमिटी के अन्दर इसको लीजिये।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 9(श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव)

श्री मदन सहनी,मंत्री: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कुल 2002 मिलरों(प्रमादी मिलरों)द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा तय सीमा तक सी0एम0आर0 जमा नहीं किया गया। इस प्रकार कुल 748026.94 मे0 टन सी0एम0आर0 समय सीमा तक वापस नहीं किया गया जिसका मूल्य 1573.44 करोड़ रू0 ऐसी प्रमादी मिलरों से वसूलनीय रह गया । जिसके विरूद्ध अबतक 349.90 करोड़ रू0 प्रमादी राईस मिलरों से वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि 1223.54 करोड़ रू0 वसूलनीय है। अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के 1446 प्रमादी राईस मिलरों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 1676 प्रमादी राईस मिलरों के विरूद्ध नीलामपत्र वाद दायर किया है। कुल 521 मामले में BW एवं 407 मामले में DW निर्गत किया गया है। 40 मामले में DW एवं 04 मामले में DW का क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कुल 409 दोषी कर्मियों से कुल 114.49 करोड़ की राशि वसूलनीय थी जिसके विरूद्ध 16.56 करोड़ वसूली हुई है तथा शेष 97.92 करोड़ वसूलनीय है। कुल 280 कर्मियों के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित किया गया है तथा 211 कर्मियों पर प्राथमिकी एवं 265 कर्मियों के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है । कुल 48 मामले में BW एवं 18 मामले में DW निर्गत किया गया है। SLP(Cri)1779/2016 राज्य सरकार बनाम दिवेश कुमार चौधरी एवं अन्य मामले में दिनांक 28-2-17 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विधि विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना ज्ञापांक 3862 दिनांक 12-7-17 के अनुसार प्रमादी राईस मिलरों से संबंधित वादों की सुनवाई के लिए बिहार राज्यान्तर्गत 05 जगहों यथा-पटना, पूर्णियां, दरभंगा, छपरा एवं गया में विशेष ट्रायल कोर्ट का गठन एवं उसके अधिकारिता जिले का निर्धारण किया गया है । क्रिमिनल मिसलेनियस वाद संख्या 52242/2013 सत्येन्द्र कुमार केशरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 10-3-2017 को माननीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में गृह विभाग(आरक्षी शाखा) के अधिसूचना ज्ञापांक 3276 दिनांक 20-4-2017 द्वारा धान अधिप्राप्ति से संबंधित आपराधिक वादों के अनुसंधान हेतु एक विशेष अन्वेषण दल का गठन भी किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय,जैसा कि माननीय सदस्य सदानन्द बाबू ने जानना चाहा कि एस0आई0टी0 का गठन कब किया गया तो माननीय न्यायालय के आदेश पर यह 10-3-2017 को गठन किया गया था ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय, अभी माननीय मंत्री का उत्तर हुआ है और सदन में जो प्रश्नकर्त्ता सदस्य हैं, वे बैठे हैं और दूसरे माननीय सदस्य इस तरह से सदन को डिस्ऑर्डर कर रहे हैं महोदय तो कोई मंत्री कैसे जवाब दे सकता है । अगर जवाब सुनना है तो शांतिपूर्वक

सुनिये और जितना भी पूरक प्रश्न पूछना है उसके लिए सरकार तैयार बैठी है, आपको जवाब दिया जायेगा।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री..

अध्यक्षः आप पूरक पूछिये।

श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादवः महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूँ । जब मूल प्रश्न का मूल उत्तर नहीं होता है तो कनेक्शन वहां से जोड़ना है तत्पश्चात् पूरक पूछा जाता है महोदय, इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने एफ0आई0आर0 दर्ज किया और आपको रटी रटाई विभाग ने दिया और आप उसको यहां आकर पढ़ गये । ये पूरे एफ0आई0आर0 4000 करोड़ का मामला है और दैट इज गवर्नमेंट बाई एन0डी0ए0, ऑनरेबुल मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, सब लोग साथ ही थे उस समय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं और इन्होंने कहा प्रपत्र 'क' पहले प्रश्न के उत्तर में भी प्रपत्र 'क' की बात कही और प्रपत्र 'क' की बात अभी भी किये हैं प्रपत्र 'क' कोई समाधान नहीं है महोदय । प्रपत्र 'क' अमूमन गठित होते रहता है चूंकि ये टास्क फोर्स गठित है डी0एम0 की अध्यक्षता में गठित है माननीय मंत्री और चीफ सेक्रेटरी इसकी मोनेटरिंग कर रहे हैं यह बात जाननी चाहिए माननीय मंत्री जी को कि इन्होंने जो उत्तर दिया है, ये पूरे उत्तर में अभी 97 प्वायंट कुछ इनको वसूल करना है, इन्होंने बडी वारंट की भी चर्चा की किन किन पर बडी वारंट निर्गत हुआ और क्यों प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है, अभी तक उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया है ऑल रिस्पौन्सेबुल इन सारे के सारे, सुन तो लीजिये मंत्री जी पूरक प्रश्न सुन लीजिये, ये गंभीर सवाल है हमारा मानना है महोदय सदन के भावना को ख्याल करते हुए माननीय मंत्री का जो उत्तर है पूरी तरह से बिल्कुल भेग है ज्वायंट कमिटी गठित करिये और इसकी जांच करवाईए सदन की समिति से मामला गंभीर है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सवाल है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीतीश कुमार जी अगर बर्दाश्त नहीं करते हैं, जानते हैं आप भी बर्दाश्त नहीं करते हैं तो तत्काल प्रभाव से ज्वायंट कमिटी गठित करिये और मामले की जांच उससे करवाईए ।

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, ऐसा है कि वह सारे के सारे पदाधिकारी जो इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए है, वे लगातार उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं और उस जिम्मेवारी को निभाते हुए पिछले कई वर्षों में उन पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और इस एफ0आई0आर0 में नाम भी होगा। (क्रमशः)

टर्न–4/मधुप/30.11.2017

...क्रमशः ....

श्री आलोक कुमार मेहता : विपक्ष की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि सरकार कृपया इसे गम्भीरता से ले और माननीय खाद्य आपूर्त्ति मंत्री जी जो हैं, उन्हें भी मैं सतर्क करना चाहता हूँ,

फिर एन0डी0ए0 की सरकार आ गई, आप सतर्क हो जाइये, कब क्या करवा देंगे लोग ।

इसलिये हम कहना चाहते हैं कि उन पदाधिकारियों को उस कार्य से, मुख्य कार्य से उनको अलग किया जाय, उनपर कार्रवाई की जाय और तमाम व्यवस्था को प्रीवेंटिव ऐक्शन के रूप में लिया जाय क्योंकि जब घटना घट जायेगी तो फिर आपके करके भी क्या करेंगे ? आफ्टर ऑल यह टैक्स-पेयर मनी है, यह जनता का पैसा है, यह किसी सरकार का पैसा नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री समीर कुमार महासेठ । माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी जगह पर जाइये । माननीय सदस्यगण, अपनी जगह पर जाकर तो बोलिये । अगला प्रश्न श्री समीर कुमार महासेठ जी का है । ऐसे में सदन कैसे चलेगा ?

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 12:00 बजे दिन तक के स्थगित की जाती है ।

टर्न–5/आजाद/30.11.2017

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

''दिनांक 30.11.2017 को हुई कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

प्रश्न यह है कि–

'' आज दिनांक 30.11.2017 को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।

कार्य मंत्रणा समिति में निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

आज दिनांक 30.11.2017 के लिये निर्धारित वित्तीय एवं विधायी कार्य कल दिनांक 01.12.2017 को लिये जांय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>शोक–प्रकाश</u>

अध्यक्ष : मुझे अभी एक अत्यंत दु:खद सूचना आप सबों को देनी है कि इसी विधान सभा के सदस्य श्री आनन्द भूषण पाण्डेय जो क्षेत्र सं0–205 भभुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे, उनका निधन आज दिल्ली में हो गया है । वे कैमूर जिला के भगवानपुर के रहने वाले थे । उनकी जन्म तिथि 03 मार्च, 1976 थी । वे भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आये थे । वे एक अत्यंत ही मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे । वे सादा जीवन और राजनीति में बड़ी ही गहरी रूचि रखने वाले व्यक्ति थे । हम सभी उनके असामयिक निधन से मर्माहत हैं और सबसे दु:खद है कि वे षोडश विधान सभा के सदस्य थे । हमलोगों के बीच से उनका असमय चला जाना हम सभी को काफी मर्माहत करने वाला है ।

अत: हम आप सबों से निवेदन करेंगे कि एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

कृपया बैठ जांय ।

माननीय सदस्यगण, मैं अपनी तरफ से तथा सम्पूर्ण सदन की तरफ से शोक संदेश उनके शोक संतप्त परिवार को भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 01.12.2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।